508

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

आश्विन 12, गुरुवार, शाके 1940–अक्टूबर 4, 2018
Asvina 12, Thursday, Saka 1940–October 4, 2018

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 01, 2018

एस.ओ.180 :–मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 200 की उप–धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा टोल नाकों से प्राप्त सूचना के अनुसार भार वाहनों के द्वारा उक्त 1988 के अधिनियम की धारा 113 की उप–धारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन दिनांक 31.07.2018 तक कारित अपराधों पर, समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08.09.2016 के अनुसार, देय प्रशमन राशि दिनांक 31.10.2018 तक जमा कराने पर कुल अधिकतम प्रशमन राशि निम्नानुसार निर्धारित करती है, अर्थात् :–

(i) 16 टन के सकल भार यान (RLW) के भार वाहनों द्वारा टोल नाकों से प्राप्त सूचनानुसार एक कलैण्डर माह में,–
   (अ) तीन बार तक के कारित अपराध के मामलों में – 6000 /–रुपये तथा
   (ब) तीन बार से अधिक कारित अपराध के मामलों में – 9000/–रुपये, तथा

(ii) 16 टन से अधिक सकल भार यान (RLW) के भार वाहनों द्वारा टोल नाकों से प्राप्त सूचनानुसार एक कलैण्डर माह में,–
   (अ) तीन बार तक के कारित अपराध के मामलों में – 10,000 /–रुपये तथा
   (ब) तीन बार से अधिक कारित अपराध के मामलों में –15,000/–रुपये, तथा

यह अधिसूचना केवल टोल नाकों से प्राप्त सूचना से संबंधित मामलों पर ही प्रभावी होगी।

[संख्या प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट 1/19453]

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,

संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।